

प्रेषक,

मनीष रंजन,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,  
हजारीबाग, दुमका, राँची, पलामू, धनबाद एवं जमशेदपुर।

राँची, दिनांक- 28-03-2024

विषय :- स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व, लघु शीर्ष-102-सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त कार्य, उपशीर्ष-15-सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यों का पुनरीक्षण के अंतर्गत कार्यालयवार एवं इकाईवार कुल ₹4,20,000/- (चार लाख बीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के विभिन्न बन्दोबस्त कार्यालयों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में कार्यालयवार एवं इकाईवार ₹4,30,000/- (चार लाख तीस हजार रुपये) मात्र की राशि निम्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है :-

| बंदोबस्त कार्यालय का नाम | हजारीबाग      | दुमका           | राँची         | पलामू         | धनबाद         | जमशेदपुर      | कुल    |
|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| डी0डी0ओ0 कोड             | HZBLDR<br>002 | DMKLDLDR<br>001 | RNCLDR<br>010 | PLMLDR<br>004 | DHNLDR<br>012 | JSRLDR<br>001 |        |
| देशीय यात्रा व्यय        | 20000         | 20000           | 20000         | 20000         | 10000         | 10000         | 100000 |
| दूरभाष                   | 15000         | 15000           | 15000         | 15000         | 15000         | 10000         | 85000  |
| वर्दी                    | 40000         | 40000           | 40000         | 40000         | 40000         | 35000         | 235000 |
| कुल                      | 75000         | 75000           | 75000         | 75000         | 65000         | 55000         | 420000 |

(चार लाख बीस हजार मात्र)

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, पत्रांक-322/वि., दिनांक-28.01.2002, पत्रांक-1800/वि., दिनांक-15.07.2003, पत्रांक-274/बजट, दिनांक-31.03.2023, पत्रांक-531, दिनांक-08.08.2023 एवं पत्रांक-224, दिनांक-06.03.2024 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

3. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।

4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।

कृ०पृ०उ०

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि के अतिरिक्त अन्य मदों में आवंटित राशि के विरुद्ध हुए व्यय की निकासी यथासंभव उसी माह/अगले माह में करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या-40 के अतिरिक्त इकाईवार विपत्र कोड का उल्लेख किया जाय तथा टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभागीय बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय।
8. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2024 तक अवश्य कर दिया जाय।
9. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

(मनीष रंजन)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-

194/अ/राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित उपायुक्त एवं जिला कोषागार

पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मनीष रंजन)

सरकार के सचिव।